क्रम-संख्या–34

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 फरवरी, 2026

माघ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 12 / 79-वि-1–2026-2-क-3-2026

लखनऊ, 2 फरवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2026), जिससे नगर विकास अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

363 RPH (Nagar Nigam) 2026 data 7e

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 115 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 115 के खण्ड (i) में, शब्द 'कुष्ठाश्रम' निकाल दिया जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 12(2)/LXXIX-V-1–2026-2-ka-3-2026
Dated Lucknow, February 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2026) promulgated by the Governor, Nagar Vikas Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 3 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporatain Act, 1959.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026.

Amendment of Section 115 of U.P. Act no. 2 of 1959

2. In Clause (i) of Section 115 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the words 'leper homes' shall be *omitted*.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 363 राजपत्र–2026–(1064)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 150 सा0 विधायी–2026–(1065)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

363 RPH (Nagar Nigam) 2026 data 7e